

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संक्रमा सं० 17/ए1-10/08 747(17) पटना, दिनांक-10/6/08

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के हड़्डी विभाग में पदस्थापित निम्नांकित सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के वेतनमान 14300-18300/-रु० प्रतिमाह में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में योगदान की तिथि से प्राध्यापक पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है:-

| क्र० | चिकित्सक शिक्षक का नाम | वर्तमान पदस्थापन |
|------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | डा० शिवेन्द्र कुमार | अनु०ना०म०चि०महा०, गया |
| 2 | डा० दिलीप कुमार सिन्हा | पटना चि०महा०, पटना |
| 3 | डा० लालजी चौधरी | दरभंगा चि०महा०, दरभंगा |
| 4 | डा० अरूण कुमार सिन्हा | नालंदा चि०महा०, पटना |

उपरोक्त क्रमांक वरीयता का घोटक नहीं है। प्रोन्नति में त्रुटि पाये जाने पर इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नृपति मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-17/ए1-10/08 747(17) पटना, दिनांक-10/6/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / राज्य मंत्री, स्वा० विभाग के निजी सहायक / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव / अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।